पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 95

पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	896.46	3.62	900.08	1589.27	1.05	1590.32	1669.88	1.05	1670.93	1839.69	1.08	1840.77
वसूलियां	*-21.83*	...	-21.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**874.63**	**3.62**	**878.25**	**1589.27**	**1.05**	**1590.32**	**1669.88**	**1.05**	**1670.93**	**1839.69**	**1.08**	**1840.77**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	7.58	...	7.58	8.95	...	8.95	6.90	...	6.90	8.30	...	8.30
2. पर्यटन महानिदेशक	63.68	...	63.68	108.00	...	108.00	82.36	...	82.36	109.88	...	109.88
	-5.28	...	-5.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*58.40*	...	*58.40*	*108.00*	...	*108.00*	*82.36*	...	*82.36*	*109.88*	...	*109.88*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**65.98**	**...**	**65.98**	**116.95**	**...**	**116.95**	**89.26**	**...**	**89.26**	**118.18**	**...**	**118.18**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यटन अवसंरचना												
3. विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	309.54	...	309.54	706.35	...	706.35	972.40	...	972.40	959.91	...	959.91
4. तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक वृद्धि ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद)	39.99	...	39.99	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
5. पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता												
5.01 गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	-20.41	...	-20.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*-10.41*	...	*-10.41*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*
5.02 अधिकाधिक राजस्व उत्पादन करने वाली योजनाएं	...	...	...	0.99	...	0.99	0.99	...	0.99	2.99	...	2.99
5.03 केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	11.00	...	11.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
5.04 बाज़ार अनुसन्धान	10.31	...	10.31	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	6.00	...	6.00
5.05 आवास अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन	0.10	...	0.10	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.01	...	0.01
जोड़- पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता	*11.00*	...	*11.00*	*92.59*	...	*92.59*	*92.59*	...	*92.59*	*89.00*	...	*89.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. भारत पर्यटन भवन	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.07	1.07
7. बुद्धा परिपथ												
7.01 कार्यक्रम घटक	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.02 ईएपी घटक	...	0.62	0.62	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01
जोड़- बुद्धा परिपथ	*...*	*0.62*	*0.62*	*0.01*	*0.05*	*0.06*	*0.01*	*0.05*	*0.06*	*0.01*	*0.01*	*0.02*
जोड़-पर्यटन अवसंरचना	**360.53**	**3.62**	**364.15**	**898.95**	**1.05**	**900.00**	**1165.00**	**1.05**	**1166.05**	**1148.92**	**1.08**	**1150.00**
संवर्धन एवं प्रचार												
8. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	2.70	...	2.70	302.87	...	302.87	225.32	...	225.32	302.59	...	302.59
9. बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार	299.62	...	299.62	110.00	...	110.00	75.00	...	75.00	110.00	...	110.00
जोड़-संवर्धन एवं प्रचार	**302.32**	**...**	**302.32**	**412.87**	**...**	**412.87**	**300.32**	**...**	**300.32**	**412.59**	**...**	**412.59**
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास												
10. आई.एच.एम./ एॅफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता	95.75	...	95.75	95.50	...	95.50	85.30	...	85.30	95.00	...	95.00
11. सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	50.05	...	50.05	65.00	...	65.00	30.00	...	30.00	65.00	...	65.00
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	**145.80**	**...**	**145.80**	**160.50**	**...**	**160.50**	**115.30**	**...**	**115.30**	**160.00**	**...**	**160.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	808.65	3.62	812.27	1472.32	1.05	1473.37	1580.62	1.05	1581.67	1721.51	1.08	1722.59
कुल जोड़	*874.63*	*3.62*	*878.25*	*1589.27*	*1.05*	*1590.32*	*1669.88*	*1.05*	*1670.93*	*1839.69*	*1.08*	*1840.77*
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	0.98	...	0.98	1.00	...	1.00	0.45	...	0.45	0.70	...	0.70
2. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.07	1.07
जोड़-सामान्य सेवाएं	**0.98**	**3.00**	**3.98**	**1.00**	**1.00**	**2.00**	**0.45**	**1.00**	**1.45**	**0.70**	**1.07**	**1.77**
आर्थिक सेवाएं												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	7.58	...	7.58	8.95	...	8.95	6.90	...	6.90	8.30	...	8.30
4. पर्यटन	689.05	...	689.05	1429.32	...	1429.32	1512.53	...	1512.53	1655.69	...	1655.69
5. पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	...	0.62	0.62	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**696.63**	**0.62**	**697.25**	**1438.27**	**0.05**	**1438.32**	**1519.43**	**0.05**	**1519.48**	**1663.99**	**0.01**	**1664.00**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	175.00	...	175.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	167.02	...	167.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**177.02**	**...**	**177.02**	**150.00**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**150.00**	**175.00**	**...**	**175.00**
कुल जोड़	**874.63**	**3.62**	**878.25**	**1589.27**	**1.05**	**1590.32**	**1669.88**	**1.05**	**1670.93**	**1839.69**	**1.08**	**1840.77**

1. **सचिवालय:** प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।

2. **पर्यटन महानिदेशक:** पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना तथा इसके अधीन क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों पर व्यय के लिए प्रावधान है। पर्यटक सूचना का प्रसार पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होटल, ट्रैवल एजेंटों, गाइडो, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

3. **विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटन सर्किट के समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** स्वदेश दर्शन : इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरो को बढाने के लिए सभी स्टेक होल्डरों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर फोकस करने के लिए प्रयासो में तालमेल कायम करने के द्वारा एकीकृत तरीके से उच्च पर्यटक मूल्य, प्रतिस्पर्धा एवं सततता के सिद्धांतो पर थीम आधारित पर्यटक परिपथों का विकास करना है। कुल 13 परियोजनाएं पहचानी गई हैं। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर विकास पैकेज 2015 के लिए 200 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है

4. **तीर्थयात्री पुनर्जागरण और आध्यात्मिक वृद्धि ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद):** इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी स्टेकहोल्डरों की आवश्यककताओं और सरोकारों पर फोकस करने के लिए प्रयासों में तालमेल कायम करने के द्वारा एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धा एवं सततता के सिद्धांतों पर तीर्थ पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है। कुल 13 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

5.01. **गंतव्य एवं परिपथों के लिए उत्पादन/अवसंरचना विकास:** इस योजना का उद्देश्य देश में पर्यटन परिपथों और गंतव्यों की पहचान करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है। योजना में ग्रामीण पर्यटन भी शामिल है।

5.02. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** इस स्कीम का उद्देश्य पब्लिक सेक्टंर और निजी सेक्टर की साझेदारी द्वारा देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना है।

5.03. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** इस स्कीम का उद्देश्य मंत्रालय की केंद्रीय वित्तीय सहायता द्वारा पर्यटन अवसंरचना विकास और संबंधित केंद्रीय एजेंसियां जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, रेलवे मंत्रालय आदि जिनके पास परिसम्पत्तियों का स्वामित्व है, द्वारा सफल परियोजना कार्यान्वियन, स्मारकों का संरक्षण/ प्रदीप्तिकरण का प्रबंधन और उचित रख-रखाव सुनिश्चित करना है।

5.04. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन मंत्रालय निर्णय लेने एवं योजना बनाने हेतु आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए पर्यटन से संबंधित विभिन्न अध्ययन और सर्वेक्षण संचालित करता है। विभिन्न क्षेत्रों/ गंतव्यों के लिए संदर्शी योजनाएं तथा मास्टर प्लान बनाए जाते है।

5.05. **पर्यटन अवसंरचना के लिए अन्य सहायता:** पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्तरीय होटल के कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम योजना अवधि के दौरान शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बजट होटल आवास के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना था. हालांकि मंजूरी न मिलने के कारण यह योजना 31 मार्च, 2008 को समाप्त केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए परिचालित की गयी। न्यायालय मामलों पर व्यय के लिए टोकन के रूप में एक लाख का प्रावधान रखा गया।

6. **भारत पर्यटन भवन:** इस परियोजना का उद्देश्य एनडीएमसी द्वारा बनाया जाने वाला बिरला मंदिर मार्ग के सामने मंदिर मार्ग/उद्यान मार्ग पर पर्यटन मंत्रालय के लिए भारत पर्यटन भवन नामक कार्यालय बिल्डिंग तैयार करना है।

7.01. **कार्यक्रम घटक:** पर्यटन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया जिसका उद्देश्य एकीकृत बौद्ध परिपथ का विकास एवं कार्यान्वियन है। अन्य बातों के साथ-साथ विकास नीति का लक्ष्य बौद्ध परिपथों के किनारे के गंतव्यों में निजी क्षेत्र में निवेश स्थानीय रोजगार, पर्यटन और एसएमई को बढ़ाना है।

7.02. **ईएपी घटक:** बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना वित् मंत्रालय, आर्थिक कार्य मामले विभाग की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए पर्यटन मंत्रालय लाइन मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। जिसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा सहायता प्राप्त है।

8. **बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पंसदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है इस योजना के अंतर्गत जोरदार प्रचार और मार्किटिंग अभियान चलाए जाते है। मंत्रालय इंक्रेडिबल इंडिया ब्रांड की मार्किटिंग के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्ष्यित पहुंच के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियां स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9. **बाजार विकास सहायता सहित स्वदेशी संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलैक्ट्रांनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चालाए गए। पर्यटक गंतव्यों के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एंव कश्मीर के संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।

10. **आई.एच.एम./ एँफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम./ एन.डब्ल्यू.आई.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एमसीएचएमसीटी/ के विस्तार तथा उन्नयन के लिए तथा नए संस्थानों जैसे कि होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम) तथा भोजन कला संस्थानों की स्थापना के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां उक्त उद्देश्यो के लिए उपयोग की जाती हैं।

11. **सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण:** इस योजना के अंतर्गत 18 से 28 वर्ष की आयु समूह के न्यूंनम 8वीं पास युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'हुनर से रोजगार तक' नामक एक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ सोसायटी तक पहुंचकर उन्हें नियोजनीय कौशल प्रदान करना भी है। विद्यमान सेवा प्रदाताओं के कौशल के परीक्षण और प्रमाणन के लिए कौशल परीक्षण और प्रमाणन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रयोजित और होटल प्रबंध संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ये दोनों कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।